प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अकबर अली पुत्र श्री बुन्दू, निवासी जनपद-रामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अकबर अली पुत्र श्री बुन्दू, निवासी बैजना, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.05.2005 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पाटल, छुरी, तमंचा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 95/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 व 25/4 आर्म्स एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, रामपुर के आदेश दिनांक दिनांक 15.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2024 तक 19 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने, हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने, पीडित परिवार द्वारा भी बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने, भविष्य में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, समयपूर्व रिहा होने पर पीडित परिवार व समाज में काफी रोष व्याप्त होने, पीडित परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना/वारदात कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 46 वर्ष, 10 माह की आयु तथा बन्दी दो अन्य वादों में दण्डित होने एवं सजा भोगे जाने के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति का भी होने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने एवं सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अकबर अली (बन्दी संख्या-47389) पुत्र श्री बुन्दू, निवासी जनपद-रामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-696/2025/1856(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।